भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 453
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन

453. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक कितने घरों का निर्माण किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) घरों के निर्माण में देरी, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए भूमि की पहचान करने या पानी, स्वच्छता और सड़क जैसी आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराने में किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है और यदि हाँ, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तमिलनाडु में परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को

क्रियान्वित कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान करके 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण आवासों के निर्माण हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को जारी रखने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। दिनांक 17.07.2025 की स्थिति के अनुसार 9,57,825 आवासों के संचयी लक्ष्य के सापेक्ष, तमिलनाडु राज्य में 7,43,299 आवासों की मंजूरी दी गई है और 6,44,600 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य द्वारा लाभार्थियों को कुल 59,121 आवास स्वीकृत किए गए हैं और पीएमएवाई-जी के तहत इसी अवधि के दौरान राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में 2158.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ग) कोविड-19 महामारी के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास निर्माण सहित सभी निर्माण गतिविधियाँ भी प्रभावित हुईं। इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों में राज्य कोष से पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में केंद्र और राज्य का अंश जारी करनें में देरी, लाभार्थियों की अनिच्छा, स्थायी प्रवास, मृतक लाभार्थियों का विवादित उत्तराधिकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में देरी और कभी-कभी आम/विधानसभा/पंचायत चुनाव और निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता शामिल हैं।

मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति एवं निर्माण कार्य पूर्ण करने की गति बढ़ाने तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन।

ii. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का शुभारंभ।

iii. नवीनतम आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आवास स्वीकृति और पूर्णता की सूक्ष्म निगरानी।

iv. माननीय मंत्री, सचिव और उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा।

v. उन घरों के निर्माण को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना जिनके लिए निधियों की तीसरी या दूसरी किस्त जारी कर दी गई है।

vi. उच्च लक्ष्य वाले राज्यों की अलग से समीक्षा।

vii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर निधियां जारी करना।

viii. पीएमएवाई-जी के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई।

(घ) जी हाँ, सरकार को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमिहीन लाभार्थी को सरकारी भूमि या किसी अन्य भूमि जिसमें सार्वजनिक भूमि (पंचायत की साझा भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि) शामिल हो, उपलब्ध कराई जाए। चयनित भूमि के लिए , राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पर्याप्त बुनियादी ढाँचा, जैसे बिजली, सड़क संपर्क और पेयजल की उपलब्धता , ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ सुनिश्चित की जा सकती हैं। भूमि राज्य का विषय है और राज्यों के भूमि अधिग्रहण मामलों में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

तथापि, मंत्रालय शेष भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मामले को सक्रिय रूप से उठा रहा है। इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पीएमएवाई-जी के लिए कार्यान्वयन रूपरेखा (एफएफआई) में निर्देश जारी करना कि वे सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायत की सामान्य भूमि , सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि) सहित किसी अन्य भूमि से भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि का प्रावधान करें।

ii. समीक्षा बैठकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि के प्रावधान में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र जारी किए गए हैं।

iii. नियमित निगरानी के लिए पीएमएवाई-जी के आवास सॉफ्ट-एमआईएस पर भूमिहीन लाभार्थियों का विवरण एकत्र करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है।

iv. पीएमएवाई-जी के तहत , एक से अधिक पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के लिए एक से अधिक मंजिला मकान/बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

v. चूँकि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए मंत्रालय इस मामले पर कोई नीति बनाने की स्थिति में नहीं है। हालाँकि , मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित करने का अनुरोध किया है, जिसमें सचिव (राजस्व) और पीएमएवाई-जी से संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव शामिल होंगे।

पीएमएवाई-जी (2024-29) के वर्तमान चरण में मंत्रालय सभी भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने की निरंतर निगरानी कर रहा है।

(ड.) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है ताकि मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान की जा सके। तमिलनाडु राज्य ने पीएमएवाईजी का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान के लिए आवास+ 2024 सर्वेक्षण नहीं किया है।

*****